भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2988
दिनांक 18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं में बुनियादी आवश्यकताएं

†2988. श्री टी. आर. बालूः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में पर्याप्त वित्तीय संसाधनों और शक्तियों की कमी के कारण पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआई) गांव के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल आदि की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो सुधारात्मक नीति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन सांविधिक सुधारात्मक उपायों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है; और

(ग) सरकार द्वारा पिछले दस वर्षों के दौरान देश में पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित धनराशि में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) केंद्र सरकार केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों के माध्यम से पंचायतों में बुनियादी अवसंरचना के निर्माण और लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करनेकी दिशा में राज्यों और ग्राम पंचायतों के प्रयासों को पूरा करती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोगों को संघ, राज्यों और उनके संबंधित स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने और राज्यों तथा स्थानीय निकायों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए करों के साथ-साथ अनुदानों को साझा करने की सिफारिश का प्रावधान किया गया है।

15वें वित्त आयोग के अंतर्गत कुल अनुदान का 60% (संबद्ध) पेयजल एवं स्वच्छता के लिए आवंटित किया गया तथा शेष 40% अनुदान (असंबद्ध) का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) द्वारा वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के अंतर्गत स्थान-विशिष्ट जरूरतों के लिए किया जा सकता है।

हालाँकि, "स्थानीय सरकार" होने के कारण, पंचायत, राज्य का विषय है और भारत के संविधान

की सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246) की राज्य सूची का भाग है। भारत के संविधान के भाग IX के अनुच्छेद 243 में उल्लिखित अधिदेश के अनुसार पंचायतों के तीन/दो स्तरों की स्थापना करना राज्य का काम है। पंचायतों को कार्य, निधि और कर्मी तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएँ प्रदान करना राज्य सरकारों का दायित्व है।

(ग) राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 13वें वित्त आयोग से 15वें वित्त आयोग तक केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान में लगातार वृद्धि हो रही है। 13वें वित्त आयोग (वित्त वर्ष 2010-15) के तहत आवंटन 64408 करोड़ रुपये था और 15वें वित्त आयोग (वित्त वर्ष 2021-26) के तहत आवंटन 236805 करोड़ रुपये है जो 13वें वित्त आयोग के आवंटन का लगभग 4 गुना है।

पिछले दस वर्षों के दौरान देश में ग्रामीण स्थानीय निकायों को केन्द्रीय वित्त आयोगों के अंतर्गत आवंटित धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वर्ष	आवंटित धनराशि (करोड़ रुपए में)	केन्द्रीय वित्त आयोग
1	2014-15	18042.86	तेरहवां वित्त आयोग
2	2015-16	21624.46	चौदहवां वित्त आयोग
3	2016-17	33870.52	
4	2017-18	39040.97	
5	2018-19	45069.16	
6	2019-20	60687.13	
7	2020-21	60750.00	पंद्रहवां वित्त आयोग(अंतरिम अवधि)
8	2021-22	44901.00	पंद्रहवां वित्त आयोग
9	2022-23	46513.00	
10	2023-24	47018.00	

*****